भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 721
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

उद्योगों में रोजगार सृजन

721. **श्री सुब्रत पाठकः**
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री रवि किशनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व एक वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उद्योगों में रोजगार सृजन के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वैश्विक मंदी के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंदी से उबरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ङ) : वैश्विक आर्थिक गतिविधियां व्यापक मंदी का अनुभव कर रही है, जिसमें मुद्रास्फीति कई दशकों में देखी गई तुलना से अधिक है। अधिकांश क्षेत्रों में रहने की लागत में वृद्धि, कठोर वित्तीय स्थितियां कोविड-19 महामारी को दूर करना सभी प्रकार के दृष्टिकोण पर भारी पड़ता है। आईएमएफ के अक्टूबर 2022 आउटलुक के अनुसार, वैश्विक जीडीपी 2022 में 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है (अप्रैल 2022 के आउटलुक में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान की तुलना में) और 2023 में इसका 2.7 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित कामगारों की क्षेत्र-वार संख्या जिसका आधार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट है, अनुबंध में दी गई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2022-23 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अथवा जीडीपी जुलाई-सितंबर 2021-22 में ₹35.89 लाख करोड़ की तुलना में जुलाई-सितंबर 2022-23 में ₹38.17 लाख करोड़ अनुमानित है, जो जुलाई-सितम्बर 2021-22 में 8.4 प्रतिशत की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद अप्रैल-सितंबर 2022-23 में इसी अवधि के दौरान ₹68.36 लाख करोड़ की तुलना में ₹75.02 लाख करोड़ होने का अनुमान है, अप्रैल-सितंबर 2022-23 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 13.7 प्रतिशत की तुलना में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मुद्रास्फीति के दबावों के घातक प्रभावों की आशंका को देखते हुए, सरकार ने गेहूं, खाद्य तेलों और ईंधन जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने कच्चे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया है। कच्चे पाम तेल के संबंध में कृषि अवसंरचना उपकर को 20 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के लिए यह 5 प्रतिशत कर दिया गया है। रिफाइंड पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 32.5 प्रतिशत से लगभग आधा करके इसे 17.5 प्रतिशत पर कर दिया गया। सभी खाद्य तेलों और तिलहनों पर लगाई गई स्टॉक सीमा को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अक्टूबर में चीनी का मौसम शुरू होने पर तीन महीने की घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थानीय स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात पर 100 लाख टन की सीमा लगाई गई थी। रबी फसल की खरीद करके 2.5 एलएमटी प्याज का बफर स्टॉक बनाकर सब्जियों की महंगाई को दूर किया गया। इसे, अगस्त-दिसंबर के लीन सीजन के दौरान संतुलित तरीके से रिलीज करने का इरादा था। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति के दबाव से निपटने करने के लिए, सरकार ने नवंबर 2021 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये प्रति लीटर और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की और मई 2022 में क्रमशः 8 रुपए प्रति लीटर और 6 रुपये प्रति लीटर की और कटौती की। मूल्य वृद्धि की कठिनाइयों को कम करने के लिए, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी प्रदान की गई।

विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में कई उपाय किए हैं, जिसमें 14 क्षेत्रों में, पिछले वर्ष की तुलना में कैपेक्स बजट में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार, बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने और निजी निवेश की सुविधा के लिए पीएम गतिशक्ति योजना की शुरुआत, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार, आदि शामिल है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के भाग के रूप में, सरकार ने आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए, परियोजनाओं की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को भी लागू किया है। सरकार ने बैंकों को पुनर्पूंजीकृत किया है, उनका विलय किया है और उनकी बैलेंस शीट को मजबूत किया है ताकि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के कम होने पर बैंक उधार तेजी से बढ़ सके।

*****

अनुबंध

"उद्योगों में रोजगार सृजन" के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 721 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

व्यापक उद्योग प्रभाग के अनुसार सामान्य स्थिति में कामगारों की अनुमानित संख्या (सभी उम्र के लिए)

(करोड़ में)

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कृषि	20.03	19.86	23.27
खनन और उत्खनन	0.19	0.20	0.15
विनिर्माण	5.70	6.12	6.24
विद्युत, जल आदि	0.28	0.28	0.35
निर्माण	5.70	5.86	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	5.94	6.39	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	2.78	2.99	3.15
अन्य सेवाएं	6.51	7.05	6.71
योग	**47.14**	**48.76**	**53.55**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण